रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112025-267714
CG-DL-E-17112025-267714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4995] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947
No. 4995] NEW DELHI, WENDENDAY, AUGUST 12, 2025/ KARTIKA 21, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवंबर, 2025

का.आ. 5164(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए पश्चिमी बंगाल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलीखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

क्रम सं.	**सदस्य**	**पदाभिदान**
(1)	(2)	(3)
1.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार	अध्यक्ष; पदेन
2.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, शहरी विकास और नगरीय मामले विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार या संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून	सदस्य; पदेन

	उसका प्रतिनिधि	
3.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, सुंदरवन मामले विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार या संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून उसका प्रतिनिधि	सदस्य; पदेन
4.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, मत्स्य विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार या संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून उसका प्रतिनिधि	सदस्य; पदेन
5.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, उद्योग, वाणिज्य और उपक्रम विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार या संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून उसका प्रतिनिधि	सदस्य; पदेन
6.	निदेशक, समुद्र वैज्ञानिक अध्ययन विद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700032, पश्चिमी बंगाल	सदस्य; पदेन
7.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और निदेशक, सुंदरवन जीवमंडल आरक्षिति, वन निदेशालय, पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य; पदेन
8.	अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
9.	प्रो. तरुण कुमार डे, अध्यक्ष, समुद्र विज्ञान विभाग, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 35, बी सी रोड़, कोलकाता-19, पश्चिमी बंगाल	सदस्य, विशेषज्ञ;
10.	डा. जतिसंकर बंध्योपाध्याय, निदेशक, पर्यावरण स्टडीज और समन्वयक, तटीय वेधशाला और आउटरीच केंद्र, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर-721102, पश्चिमी बंगाल	सदस्य, विशेषज्ञ;
11.	प्रो. अशोक कांति सन्याल, पूर्व-अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड 66, दम दम रोड, अहाना अपार्टमेंट, फ्लैट-1सी, कोलकाता- 700074	सदस्य, विशेषज्ञ;
12.	प्रो. अभिजीत कुंदु, पर्यावरण परामर्शदाता, अकेडेमिक और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ फ्लैट – सी-4, 152, लेक ईस्ट 6वां रोड, कोलकाता-700075	सदस्य, विशेषज्ञ;
13.	सुश्री अजंता डे संयुक्त सचिव और कार्यक्रम निदेशक, प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव समाज, 10, चोवरिंगघी टेरेस, कोलकाता-700020 पश्चिमी बंगाल	सदस्य; गैर सरकारी सगंठन
14.	निदेशक, पर्यावरण अध्ययन और आर्द्रभूमि प्रबंधन संस्थान, पर्यावरण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य सचिव ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. किसी भी हित के टकराव से बचने के लिए, सदस्य किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण की बैठक से खुद को अलग कर लेंगे, जिसके लिए उन्हें परामर्श सेवा प्रदान की गई है ।

6. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनियम जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(i) परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में है और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनियम जोन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबंद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा;

(ii) उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनियमन जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करना;

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना जैसा कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4650(आ), तारीख 30 सितंबर, 2022 में विनिर्दिष्ट है;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत करना;

(vi) तटीय विनियम जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और केंद्रीय सरकार को सिफारिश देना;

(vii) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों की जांच और उनका पुनर्विलोकन करना ;

(viii) उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

7. प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

8. प्राधिकरण, अपने कृत्यों से पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और पश्चिमी बंगाल राज्य की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा।

9. प्राधिकरण, कम से कम छह माह में एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा।

[फा.सं.12-8/2005-आईए.III]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5164(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the West Bengal Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

Serial. No	Members	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary, Department of Environment, Government of West Bengal	Chairperson, exofficio;
2.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Department of Urban Development and Municipal Affairs, Government of West Bengal or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member, exofficio;
3.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member, exofficio;
4.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Department of Fisheries, Government of West Bengal or his	Member, exofficio;

	representative not below the rank of Joint Secretary	
5.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Department of Industry, Commerce and Enterprise, Government of West Bengal or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member, exofficio;
6.	Director, School of Oceanographic Studies, Jadavpur University, Kolkata-700032, West Bengal	Member, exofficio;
7.	Additional Principal Chief Conservator of Forests and Director, Sundarban Biosphere Reserve, Directorate of Forest, Government of West Bengal	Member, exofficio;
8.	Chairman, West Bengal Pollution Control Board	Member, exofficio;
9.	Prof. Tarun Kumar De , Head, Department of Marine Sciences, Calcutta University 35, B C Road, Kolkata-19, West Bengal	Member, Expert;
10.	Dr. Jatisankar Bandyopadhyay , Director, Centre for Environment Studies and Coordinator, Coastal Observatory and Outreach Centre, Vidyasagar University, Midnapore-721102, West Bengal	Member, Expert;
11.	Prof. Asok Kanti Sanyal, Ex-Chairman, West Bengal Biodiversity Board 66, Dum Dum Road, Ahana Apartment, Flat – 1C, Kolkata –700074	Member, Expert;
12.	Prof. Abhijit Kundu , Environment Consultant, Academic and Disaster Management Expert Flat - C-4, 152, Lake East 6th Road, Kolkata – 700075	Member, Expert;
13.	Ms. Ajanta Dey, Joint Secretary and Programme Director, Nature Environment and Wildlife Society, 10, Chowringhee Terrace, Kolkata-700020, West Bengal	Member, Non Government Organisation;
14.	Director, Institute of Environmental Studies and Wetland Management, Department of Environment, Government of West Bengal	Member Secretary.

2. The Authority shall have its headquarter at Kolkata.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one- third of the total number of its Members.

4. The member, other than Member, ex officio, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered any consultancy service.

6. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of West Bengal, take following measures namely: -

(i) after receiving the application for approval of project proposals, examine proposals if they are in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published vide number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of project proposal to the authority concerned, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date receipt of application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(iv) exercise powers under section 10 of the said Act;

(v) make complaint under section 19 of the said Act;

(vi) examine proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make recommendations, to the Central Government;

(vii) inquire and review the cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and

(viii) inquire and review the cases of violation or contravention of the said notification suo-moto or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation before it.

7. The Authority shall be responsible for enforcement and monitoring of the implementation of the provisions of the said notification;

8. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website, and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on violation and contravention of the said notification, action taken on such violation and contravention, court matters including the order of the court and the approved Coastal Zone Management Plan of the State of West Bengal.

9. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the Central Government.

[F. No. 12-8/2005-IA.III]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.17 15:25:21 +05'30'